

प्रारूप-2

भाग-I (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी मे हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 2.00 किमी०)

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव विवरण।

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी मे हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 2.00 किमी०)

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

— संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

100.00 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

— संलग्न है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 1000 मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

अ. आरक्षित वन भूमि चकराता वन प्रभाग चकराता

0.0000 है०

ब. वन पंचायत

0.0000 है०

स. सिविल भूमि

0.6650 है०

कुल वन भूमि

0.6650 है०

द. नाप भूमि

0.8090 है०

कुल भूमि

1.4740 है०

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

लागू नहीं है।

क) परिवारों की संख्या

लागू नहीं है।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

लागू नहीं है।

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

लागू नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)

— संलग्न है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

— संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

— संलग्न है।

अमीन
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.
साहिया
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.
साहिया

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.
साहिया

Executive Engineer
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.
साहिया

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 2.00 किमी०)

भाग-II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7.

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र

(ii) जिला

(iii) जिला वन प्रभाग

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का :-

8. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:

हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम
गोथान तक मोटर मार्ग
उत्तराखण्ड
देहरादून
चकराता वन प्रभाग चकराता
0.665 हे०

सिविल सोयम भूमि

9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

10. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

11. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के :- लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियां उपाबद्ध की जाएं)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण :- व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)

फिक्स्ड 0.665 हे०
0.2
प्राप्त - 19 फरवरी 2018

1.0 किमी लम्बाई

नहीं
प्राप्त 25 कि० दक्षिण है,

वही

नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण :- व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्नवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में :- अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

नहीं

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या :- प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

14. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के :- विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

नहीं

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा :- यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए

नहीं

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि :-

15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :-

नहीं

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के :- अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, :- अतिक्रमण के लिए

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :-

नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :-

नहीं

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय :- सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

हां

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :-

₹ 4,48,455/-

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से :- पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

हां

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से :- सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

है,

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन :- संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

मान्य निम्न की तथ्यांकी रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव की जाती है,

दिनांक 3-11-2020

हस्ताक्षर

स्थान कालपी

नाम

सरकारी मोहर

प्रमाणित वन अधिकारी
चक्राता वन प्रभाग
कालपी

(दीप-वन्द आदि)

प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता वन प्रभाग
चक्राता

प्रारूप-4

8

भाग-III

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 2.00 किमी०)

19. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय। :-

20. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं। :-

21. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों :-

दिनांक.....

हस्ताक्षर

स्थान.....

नाम

सरकारी मोहर